

न्यायालय कोर्ट जिला मल्हार दोसा
 मु.नं. 51/2023 प्रा.प.इ. स्थानांतरण
 उनवान - मिडीडेकी वनाय भावना शर्मा सहा. मल्हार फास्ट ट्रेक कोर्ट दोसा

नम्बर व...
 अहमदाबाद इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२२-२-२५	<p> कोषिबन्ता प्राची उपस्थित कोषिबन्ता आजी के 2, 3, 5, 6 उपस्थित कोषिबन्ता आजी द्वारा निकेतन किया गया कि प्रमुख में तत्कालीन पीठासीन कोषिबन्ता न्यायालय सहायक मल्हार फास्ट ट्रेक वांडीकुई सीमरी भावना शर्मा का स्थानांतरण हो गया है इसलिये विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानांतरण का आगे चलाये जाने का कोषिलयम ही है। कोषिबन्ता प्राची द्वारा कोषिबन्ता उपस्थित के उक्त मयन से सहमत होना जाहिर किया गया। प्राची का अन्वेषण किया एवं कोषिबन्ता उक्तपत्र के मयन पर मनन किया गया। विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानांतरण सीमरी भावना शर्मा तत्कालीन पीठासीन कोषिबन्ता न्यायालय सहायक मल्हार (फास्ट ट्रेक) वांडीकुई के विरुद्ध पेश किया गया है जिनका स्थानांतरण हो चुका है। ही स्थिति के विचाराधीन प्राचीन पत्र स्थानांतरण स्वीकृत होकर इसी स्तर पर खारिज किया जाने योग्य है। अतः न्यायालय सहायक मल्हार फास्ट ट्रेक वांडीकुई के विचाराधीन मु.नं. 130/2021 वा.उ. आवर स्पाई निषेधाज्ञा एवं मु.नं. 98/2021 प्रा.प.इ. अर्थात् निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश वनाय हरिमोहन का अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्राची को मिडीडेकी पत्नी मूलाचन्द्र सुपर निवासी रोगवास तटकील वस्वा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज किया गया है जिनके विपरीत सहायक मल्हार फा. ट्रेक वांडीकुई का मिजवादी प्राची के मयन द्वारा ही नंबर ख मय है। जिनके आज दि.नं. २२-२-२५ को मु. द्वारा मु.नं. न्यायालय में सुनाया गया। </p>



नरेश बुनकर
 अति. जिला कलक्टर
 दोसा (राज.)